न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45/2022 **दायरा दिनांक : 10.05.2022**

उनवान

चतुर्भुज आयु 74 वर्ष पुत्र श्री छोगालाल, जाति माली, निवासी नगरपालिका कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 15/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि सम्वत 2031–2034 की जमाबंदी ग्राम नलका, तहसील बारां में खसरा नम्बर 280 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 288 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 270 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वादी अपीलांट ने पूर्व खातेदार से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी, द्वितीय सैटलमेंट सम्वत 2044–2063 होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एवं त्रुटि से अपीलांट की आराजी के नये खसरा नम्बर 280 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.27 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 1.22 हेक्टर दर्ज किये गये। सैटलमेंट होने के पश्चात पूर्व रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा के अनुसार वादी अपीलांट के खाते में 1.49 हेक्टर आराजी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट के खाते में मात्र 1.22 हेक्टर आराजी ही दर्ज की, जो गत रकबे की तुलना में 0.27 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई है। इस कमी रकबे को पूरा करवाने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट से जवाबदावा नहीं लिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा है कि वादी यह साबित नहीं कर पाया कि कमी रकबा किस आराजी में बढ़ा है और किस आराजी से कम किया जाना चाहिए था। इसी आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जबकि अपीलांट ने सैटलमेंट की पूर्व जमाबंदी, हाल जमाबंदी और मिलान क्षेत्रफल पेश

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किये थे जिससे अपीलांट का रकबा 0.27 हेक्टर कम कर दिया गया है जो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से साबित है। वादग्रस्त आराजी पर वादी आज भी काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादी के दर्ज नहीं की गई है। साबिक खसरा नम्बर 270 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 280 रकबा 0.33 हेक्टर दर्ज किये गये हैं इसमें 0.13 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई, साबिक खसरा नम्बर 280 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा जिसमें बाद सैटलमेंट खसरा नम्बर 284 रकबा 0.62 हेक्टर दर्ज किये गये हैं इसमें भी 0.09 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई। साबिक खसरा नम्बर 288 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 297 रकबा 0.27 हेक्टर दर्ज किये गये इसमें भी 0.05 हेक्टर आराजी कम दर्ज की गई । इस प्रकार तीनों खसरा नम्बरान में कुल आराजी 0.27 हेक्टर कम दर्ज की गई जिसको अपीलांट पुनः अपने खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 280 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.27 हेक्टर कुल 1.22 हेक्टर का रजिस्टर्ड बेचान अन्य व्यक्तियों को हो चुका है। अपीलांट का मात्र कमी रकबा 0.27 हेक्टर पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और इसी कमी रकबे 0.27 हेक्टर को अपीलांट के खाते दर्ज न करके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट पृथक से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विवादित आराजी के आस–पास के खातेदारों की आराजी का रकबा, मिलान क्षेत्रफल व राजस्व नक्शा पेश कर रहा है जिससे यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलांट का कमी रकबा किस खसरा नम्बर की आराजी में मिला दिया गया है और किस खसरा नम्बर की आराजी से कम किया जाकर अपीलांट का रकबा पूरा किया जा सकता है। रजिस्टर्ड बेचान की गई आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

0.27 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 1.22 हेक्टर आराजी से अपीलांट का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है इसलिए इस आराजी के खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है। अपीलांट रेस्पोडेंट से ही अपना कम रकबा 0.27 हेक्टर पूरा करवाकर पृथक से अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 निरस्त किया जाकर आदेश दिया जावे कि अपीलांट वादी का कमी रकबा 0.27 हेक्टर वाके ग्राम नलका, तहसील बारां को पूरा किया जाकर पृथक से अपीलांट के खाते किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में कमी रकबे खसरा नम्बर 285 में शामिल होना बताया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा किश्तवार सम्वत 2012 सन् 1955 में वादी के साबिक खसरा नम्बर 270 व 288 अन्य खातेदारी भूमि के लगवा भी है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सिर्फ खसरा नम्बर 285 में ही रकबा शामिल हो गया। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 285 का सैटलमेंट से पूर्व कितना रकबा था यह नहीं बताया गया है। इसलिए यह साबित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 285 का क्षेत्रफल बाद सैटलमेंट अधिक हो गया है। प्रस्तुत वाद में वादी के हाल खसरा नम्बर 297 की नक्शा नकल प्रस्तुत नहीं की है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में कौन सा खसरा नम्बर किस खसरा नम्बर में शामिल हुआ इस बाबत कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, एवं वादी द्वारा सम्पूर्ण नकले पेश नहीं की है अतः वादी का वाद तथ्यहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा किश्तवार सम्वत 2012 सन् 1955 में वादी के साबिक खसरा नम्बर 270 व 288 अन्य खातेदारी भूमि के लगवा भी है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सिर्फ खसरा नम्बर 285 में ही रकबा शामिल हो गया। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 285 का सैटलमेंट से पूर्व कितना रकबा था यह नहीं बताया गया है। इसलिए यह साबित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 285 का क्षेत्रफल बाद सैटलमेंट अधिक हो गया है। प्रस्तुत वाद में वादी के हाल खसरा नम्बर 297 की नक्शा नकल प्रस्तुत नहीं की है। यह खसरा नम्बर अन्य खातेदारी भूमियों से लगवा है। अतः इस खसरा नम्बर का रकबा कम होकर खसरा नम्बर 285 में अधिक हो गया है यह साबित नहीं होता है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में कौन सा खसरा नम्बर किस खसरा नम्बर में शामिल हुआ इस बाबत कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, एवं वादी द्वारा सम्पूर्ण नकले अधीनस्थ न्यायालय में न ही इस न्यायालय में पेश की है अतः वादी का वाद तथ्यहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

चतुर्भुज आयु 74 वर्ष पुत्र श्री छोगालाल, जाति माली, निवासी नगरपालिका कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां

..........अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 45/2022 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**

मु.द.नं0 15/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक – **31.03.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 10 सन् 2022

हाजरी **श्री कमलदीप सिंह** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **पैरोकार सरकार** रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 14 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

मोहर